## प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 795 / 2022

अनवान : –

1. हनुमान पुत्र प्रेमाराम जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

**– वादी**

**बनाम्**

1. शंकरलाल पुत्र प्रेमाराम जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. तारा पुत्री प्रेमाराम जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. सुरस्ती पुत्री प्रेमाराम जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. ज्याना पुत्री प्रेमाराम जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
5. चावली पुत्री प्रेमाराम जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
6. रेवन्ती पुत्री प्रेमाराम जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
7. राजेश पुत्री तुलछी जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
8. मुर्ति पुत्री तुलछी जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
9. मिलखाराम पुत्र तुलछी जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
10. सीमा पुत्री राजा जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
11. कृष्ण पुत्र राजा जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
12. रोशनी पुत्री राजा जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
13. रेखा पुत्री राजा जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
14. प्रियंका पत्नी रतन पुत्र राजा जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
15. विकास पुत्र रतन पुत्र राजा नाबालिग जरिये कुदरती बली माता प्रियंका पत्नी रतन जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
16. विशाल पुत्र रतन राजा नाबालिग जरिये कुदरती बली माता प्रियंका पत्नी रतन जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

**– प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955**

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री मनीराम सरावग अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

**निर्णय** दिनांकः 30/5/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर की जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 682 / 657 की कुल 6.5380है0 भूमि व खाता स0 191 / 266 की कुल 25.8240है0 तथा रोही मौजा मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के खाता स0 189 / 191 की कुल 3.4400है0 भूमि मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

उपरोक्त वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उपरोक्त वाद भूमि में वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 6 व मृतक राजा व मृतक तुलछी प्रत्येंक का 1 / 9 हिस्सा भूमि है। तुलछी पुत्री प्रेमाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:35:26 IST
Reason: SelfAttested

वारिस प्रतिवादी स0 7 ता 9 है व राजा पुत्री प्रेमाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी स0 10 ता 13 व मृतक रतन है। रतन पुत्र राजा का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी स0 14 ता 16 है।

प्रतिवादीया स0 2 ता 6 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादी स0 7 ता 9, 10 ता 13 व 14 ता 16 वादी की स्वर्गवासी बहिनों राजा व तुलछी के वारिस है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा न लेकर अपना जो भी हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में परित्याग कर चुके है इस प्रकार से प्रतिवादी स0 2 ता 16 का उपरोक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नही बचा है। बाद हक त्याग उपरोक्त तीनों खातों की भूमि में वादी व प्रतिवादी स0 1 बहिब काबिज है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि उक्त तीनों खातो की वाद भूमि में प्रतिवादीया स0 2 ता 6 व मृतक तुलछी पुत्री प्रेमाराम व मृतक राजा पुत्री प्रेमाराम का नाम कलमजन करवाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 1 को बहिब का बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा तथा वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार वादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 16 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 17 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य रोही मौजा सोनड़ी के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 तहसील नोहर के खाता स0 682/657 ईएक्सपी–1, रोही मौजा मेघसिंहपुरा के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 तहसील नोहर के खाता स0 189/191 ईएक्सपी–2, रोही मौजा सोनड़ी के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 तहसील नोहर के खाता स0 191/266 ईएक्सपी–3, मृत्यु प्रमाण पत्र रतन ईएक्सपी–4, मृत्यु प्रमाण पत्र राजू ईएक्सपी–5, मृत्यु प्रमाण पत्र तुलसी देवी ईएक्सपी–6 आदि पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश कर सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 16 द्वारा इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अ[illegible] किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि [illegible] 16 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी स0 2 ता 16 [illegible] भूमि वादी एवं प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी अपने हिस्सा अनु[illegible] अपने हकों की घोषणा करवाना चाहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:35:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 16 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर की जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 682/657 की कुल 6.5380है0 भूमि में वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 6 तथा मृतक राजा व मृतक तुलछी प्रत्येक के 1/9 हिस्सा भूमि व खाता स0 191/266 की कुल 25.8240है0 में वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 6 तथा मृतक राजा व मृतक तुलछी प्रत्येक के 1/27 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के खाता स0 189/191 की कुल 3.4400है0 भूमि में वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 6 तथा मृतक राजा व मृतक तुलछी प्रत्येक के 1/27 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रेमाराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। है। प्रतिवादी सं0 1 ता 16 द्वारा वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 16 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

**क्रियात्मक आदेश**

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर की जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 682/657 की कुल 6.5380है0 भूमि में वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 6 तथा मृतक राजा व मृतक तुलछी प्रत्येक के 1/9 हिस्सा भूमि व खाता स0 191/266 की कुल 25.8240है0 में वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 6 तथा मृतक राजा व मृतक तुलछी प्रत्येक के 1/27 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के खाता स0 189/191 की कुल 3.4400है0 भूमि में वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 6 तथा मृतक राजा व मृतक तुलछी प्रत्येक के 1/27 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 2 ता 6 व मृतक तुलछी पुत्री प्रेमाराम व मृतक राजा पुत्री प्रेमाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स0 1 को बराबर हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.5.23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–सोनड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:35:26 IST
Reason: SelfAttested

## प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

## पर्चा डिक्री

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 795/2022

अनवान : –

1. हनुमान पुत्र प्रेमाराम जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

– वादी

**बनाम्**

1. शंकरलाल पुत्र प्रेमाराम जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. तारा पुत्री प्रेमाराम जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. सुरस्ती पुत्री प्रेमाराम जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. ज्याना पुत्री प्रेमाराम जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
5. चावली पुत्री प्रेमाराम जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
6. रेवन्ती पुत्री प्रेमाराम जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
7. राजेश पुत्री तुलछी जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
8. मुर्ति पुत्री तुलछी जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
9. मिलखाराम पुत्र तुलछी जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
10. सीमा पुत्री राजा जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
11. कृष्ण पुत्र राजा जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
12. रोशनी पुत्री राजा जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
13. रेखा पुत्री राजा जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
14. प्रियंका पत्नी रतन पुत्र राजा जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
15. विकास पुत्र रतन पुत्र राजा नाबालिग जरिये कुदरती बली माता प्रियंका पत्नी रतन जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
16. विशाल पुत्र रतन राजा नाबालिग जरिये कुदरती बली माता प्रियंका पत्नी रतन जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 795 सन 2023**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा व वकील प्रतिवादी श्री मनीराम सरावग की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर की जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 682/657 की कुल 6.5380है0 भूमि में वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 6 तथा मृतक राजा व मृतक तुलछी प्रत्येक के 1/9 हिस्सा भूमि व खाता स0 191/266 की कुल 25.8240है0 में वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 6 तथा मृतक राजा व मृतक तुलछी प्रत्येक के 1/27 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता स0 189/191 की कुल 3.4400है0 भूमि में वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 6 तथा मृतक राजा व मृतक तुलछी प्रत्येक के 1/27 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 2 ता 6 व मृतक तुलछी पुत्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:35:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रेमाराम व मृतक राजा पुत्री प्रेमाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स0 1 को बराबर हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/5/25 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट– सोनड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:35:26 IST
Reason: SelfAttested